

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 23 अगस्त 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीतिन नबीन ने कहा कि बैठक में भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नीतिन नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने नगरपालिका कर्मचारी संघ एवं फायर कर्मचारी यूनियन की सफाई एवं फायर कर्मचारियों से संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते

हुए अधिकांश मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जिन प्रमुख मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है, उनमें 440 रुपये प्रतिमाह वर्दी भत्ता, समान कार्य-समान वेतन एवं बकाया भुगतान, एल.टी.सी. का लाभ, न्यूनतम वेतन, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ शामिल हैं।

इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, अनुकम्पा सहायता को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने तथा दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख रुपये देने की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने पालिका रोल एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-चिरायु योजना में शामिल करने, कर्मचारियों को 20 मेडिकल एवं 20 आकस्मिक अवकाश देने तथा सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैन की लिपिक (ग्रुप-सी) पद पर पदोन्नति के प्रावधान को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों एवं फायर कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा मुख्य गतिरोध का विषय है। इस संबंध में सरकार द्वारा कानूनी परीक्षण किया जा रहा है।

सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 के दायरे में लाने के लिए तैयार है, ताकि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ मिल सकें। सरकार इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता देने के लिए भी

तैयार है। सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 19,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2024 के तहत कर्मचारियों को अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, एचकेआरएनएल के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता राशि तथा एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसे लाभ देने पर भी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई है।

इस प्रकार सरकार ने सफाई एवं फायर कर्मचारियों से संबंधित लगभग सभी मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। यदि कोई कर्मचारी कानून का उल्लंघन करता है अथवा अन्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने आज से विशेष सफाई अभियान शुरू किया। शहर के सभी क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और कूड़ा एकत्र होने वाले स्थानों से कचरा उठाने के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों को मैदान में उतारा गया है। नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि हड़ताल के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने और नागरिकों को जल्द राहत देने के लिए सभी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। जहां भी कूड़ा जमा होने की सूचना मिल रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सफाई दल भेजे जा रहे हैं।

नगर निगम ने शहरवासियों से सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की है।
